फैक्स संदेश संख्या 5006 /भा.कृ.अ.प. मुख्या.
दिनांक 14/8/15
पृष्ठों की संख्या 13

1/13

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F. No. FIN/24/2/2014-CDN (A&A) Dated the 14th Aug. 2015

ENDORSEMENT

The Ministry of Finance, Government of India Department of Expenditure, New Delhi has issued the following OMs:

Sl. No.	Govt. of India, OM. No. & dated	Subject
1.	OM. No.2/5/2014-E.II(B) dated the 21st July, 2015	Re-classification/Up-gradation of Cities/Towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.
2.	OM. No.21(2)/2015-E.II(B) dated the 6th August, 2015	Grant of Transport Allowance to Central Government employees.

The above two OMs have been posted on the ICAR website www.icar.org.in for information, guidance and compliance.

Rajesh Sahay 14/08/2015
(Rajesh Sahay)
Sr. Finance & Accts. Officer

Distribution:

I **ICAR Institutes:**

1. Directors/Joint Directors/Project Directors of all Research Institutes/Project Directorates and National Research Centres/Bureaux
2. Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Directors.
3. The Finance & Accts. Officers of all Research Institutes, Project Directorates and National Research Centres.

II **ICAR Headquarters:**

1. All Officers/Sections, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi including Krishi Anusandhan Bhavan I & II, NASC, Pusa, New Delhi
2. ADG (CDN)/ADG (PIM)/PD, DKMA
3. ND, NAIP/ Chairman, ASRB
4. NC, NFBSFARA
5. Director (A), ICAR Hqrs/ Director (DARE)
6. Sr. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR/PPS to Additional Secretary, DARE & Secretary, ICAR/PPS to AS & FA, DARE/ICAR
7. Shri Hans Raj, Information System Officer, Agriculture Knowledge Management Units (AKMU), KAB-I Pusa, New Delhi-12 for placing the above two OMs in the ICAR Website.
8. Secretary (Staff Side)

2/13

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली--110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 वित्त/24/2/2014–सम0(ए एवं ए) दिनांक 14 अगस्त, 2015

पृष्ठांकन

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं :

क0सं0	भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0 एवं दिनांक	विषय
1	दिनांक 21 जुलाई, 2015 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014–ई II (बी)	केन्द्र सरकार के कर्मियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) की स्वीकृति देने के प्रयोजनार्थ जनगणना–2011 के आधार पर शहरों, नगरों का पुनःवर्गीकरण/उन्नयन।
2	दिनांक 06 अगस्त, 2015 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21(2)/2015--ई.II (बी)	केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए परिवहन भत्ते की स्वीकृति।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों को भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट www.icar.org.in पर सूचना, मार्गदर्शन, और अनुपालन के लिए अपलोड किया गया है।

14/08/2015
(राजेश सहाय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी

वितरण

I **भा.कृ.अ.प. संस्थान**

1. सभी अनुसंधान संस्थानों/परियोजना निदेशालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो के निदेशक/संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक।
2. परियोजना समन्वयक/समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं/क्षेत्रीय परियोजना निदेशक।
3. सभी अनुसंधान संस्थानों, परियोजना निदेशालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के वित्त एवं लेखा अधिकारी।

II **भा.कृ.अ.प. मुख्यालय**

1. भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, कृषि अनुसंधान भवन I और II, एनएएससी, पूसा, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. सहायक महानिदेशक (सम0)/पीआईएम/पीडी, डीकेएमए।
3. एनडी, एनएआईपी/अध्यक्ष, एएसआरबी।
4. एमसी, एनएफबीएसएफएआरए।
5. निदेशक (प्रशा.), भा.कृ.अ.प. मुख्यालय/निदेशक (डेयर)।
6. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के वरि. प्रधान निजी सचिव, और अपर सचिव, डेयर एवं सचिव भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, डेयर/भा.कृ.अ.प. के सचिव।
7. श्री हंसराज, सूचना प्रणाली अधिकारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई (एकेएमयू) कैब--I पूसा नई दिल्ली–12 : उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों को भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिव (कर्मचारी पक्ष)।

सं. 2/5/2014-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्वर्गीकरण/स्तरोन्नयन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न की गई थी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए जनगणना - 2011 के आधार पर शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

2. राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों के वर्गीकरण से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, मकान किराए भत्ते के प्रयोजन हेतु शहरों/कस्बों को अब 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि इन आदेशों के अनुबंध में गणना की गई है।

3. 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कतिपय शहरों/कस्बों को इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. ज्ञा. सं. 2(30)/97-ई.II(बी) के तहत मकान किराए भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके विद्यमान वर्गीकरण की तुलना में निचले वर्गीकरण में रखा गया था। तथापि, इन शहरों/कस्बों को उनके विद्यमान उच्चतर वर्गीकरण में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, उसका पैरा 3 देखें, और दिनांक 16.03.2005 के का. ज्ञा. सं. 2(21)/ई.II(बी)/2004 और दिनांक 07.01.2009 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत इसे आगे बढ़ाया गया था। चूंकि, अन्य शहरों/कस्बों जिनका पिछला उच्चतर वर्गीकरण बनाए रखने की सुविधा दी गई थी, का इस दौरान स्तरोन्नयन हो गया और इस समय केवल दो शहर नामत: राजस्थान में अजमेर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर को ही ऐसा संरक्षण प्राप्त है। जनगणना-2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर इन दो शहरों के भी स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. ज्ञा. सं. 2(30)97-ई.II(बी) के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधान जिन्हें दिनांक 16.03.2005 और 07.01.2009 के का. ज्ञा. के तहत आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, वापस ले लिए गए हैं/समाप्त कर दिए गए हैं।

4. इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में तैनात कर्मचारियों को दिल्ली ('एक्स' श्रेणी शहर) की दरों पर, जालंधर छावनी के लिए जालंधर ('वाई' श्रेणी शहर) की दरों पर तथा शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए 'वाई' श्रेणी शहर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रखने और इस विभाग के दिनांक 04.03.2011 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी शहर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने की अनुमति के विशेष आदेश, सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किए जाने तक लागू रहेंगे।

5. ये आदेश 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

6. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(सुभाष चन्द)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

21.07.2015 के क्र ...014-ई.II (बी) का

अनुबंध

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	"एक्स" के रूप में वर्गीकृत शहर	"वाई" के रूप में वर्गीकृत शहर
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
2.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)	विजयवाड़ा (यूए), वारंगल (यूए), ग्रेटर विशाखापट्नम (नगर निगम), गुंटूर (यूए), नेल्लौर (यूए)
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4.	असम	-	गुवाहाटी (यूए)
5.	बिहार	-	पटना (यूए)
6.	चंडीगढ़	-	चंडीगढ़ (यूए)
7.	छत्तीसगढ़	-	दुर्ग-भिलाई नगर (यूए), रायपुर (यूए)
8.	दादर और नगर हवेली	-	-
9.	दमन और दीव	-	-
10.	दिल्ली	दिल्ली (यूए)	-
11.	गोवा	-	-
12.	गुजरात	अहमदाबाद (यूए)	राजकोट (यूए), जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए)
13.	हरियाणा	-	फरीदाबाद* (नगर निगम), गुड़गांव* (यूए)
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	-	श्रीनगर (यूए), जम्मू (यूए)
16.	झारखंड	-	जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए), रांची (यूए), बोकारो स्टील सिटी (यूए)
17.	कर्नाटक	बंगलौर/बंगलूरू (यूए)	बेलगांव (यूए), हुबली-धारवाड़ (नगर निगम), मंगलौर (यूए), मैसूर (यूए), गुलबर्गा (यूए)
18.	केरल	-	कोजिकोड (यूए), कोच्चि (यूए), तिरुवनंतपुरम (यूए), त्रिसूर (यूए), मलप्पुरम (यूए), कन्नूर (यूए), कोल्लम (यूए)
19.	लक्षद्वीप	-	-
20.	मध्य प्रदेश	-	ग्वालियर (यूए), इंदौर (यूए), भोपाल (यूए), जबलपुर (यूए), उज्जैन (नगर निगम)

21.	महाराष्ट्र	बृहन मुंबई (यूए), पुणे (यूए)	अमरावती (नगर निगम), नागपुर (यूए), औरंगाबाद (यूए), नासिक (यूए), भिवंडी (यूए), सोलापुर (नगर निगम), कोल्हापुर (यूए), वसई-विरार सिटी (नगर निगम), मालेगांव (यूए), नांदेड-वाघला (नगर निगम), सांगली (यूए)
22.	मणिपुर	-	-
23.	मेघालय	-	-
24.	मिंजोरम	-	-
25.	नगालैंड	-	
26.	ओडीशा	-	कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए), राउरकेला (यूए)
27.	पुद्दुचेरी (पांडिचेरी)	-	पुद्दुचेरी/पांडिचेरी (यूए)
28.	पंजाब	-	अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए), लुधियाना (नगर निगम)
29.	राजस्थान	-	बीकानेर (नगर निगम), जयपुर (नगर निगम), जोधपुर (यूए), कोटा (नगर निगम), अजमेर (यूए)
30.	सिक्किम	-	-
31.	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए)	सेलम (यूए), तिरुपुर (यूए), कोयम्बटूर (यूए), तिरुचिरापल्ली (यूए), मदुरै (यूए), इरोड (यूए)
32.	त्रिपुरा	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	-	मुरादाबाद (नगर निगम), मेरठ (यूए), गाजियाबाद* (यूए), अलीगढ़ (यूए), आगरा (यूए), बरेली (यूए), लखनऊ (यूए), कानपुर (यूए), इलाहाबाद (यूए), गोरखपुर (यूए), वाराणसी (यूए), सहारनपुर (नगर निगम), नोएडा* (सीटी), फिरोजाबाद (एनपीपी), झांसी (यूए)
34.	उत्तराखंड	-	देहरादून (यूए)
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)	आसनसोल (यूए), सिलीगुड़ी (यूए), दुर्गापुर (यूए)

* केवल निर्भरता के आधार पर मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए।

टिप्पणी

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेष शहर/कस्बे जो "एक्स" अथवा "वाई" वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए हैं, को मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए "जेड" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

***

7/12

No.2/5/2014-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 21st July, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Re-classification/Upgradation of Cities/Towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.**

*****

Reference is invited to this Department's O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees on the recommendations of the 6th Central Pay Commission (CPC) whereby a list of cities/towns classified as "X", "Y" and "Z" for the purpose of grant of HRA was enclosed as Annexure. The matter relating to re-classification of cities/towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of HRA to Central Government employees has been considered by the Government.

2. The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders relating to classification of cities/towns for the purpose of grant of HRA to Central Government employees, cities/towns shall now be re-classified as "X", "Y" and "Z" for the purpose of HRA as enumerated in the Annexure to these orders.

3. Consequent upon implementation of the recommendations of the 5th Central Pay Commission, certain cities/towns were placed in a lower classification as compared to their existing classification for HRA purpose, vide this Department's O.M. No. 2(30)/97-E.II(B) dated 03.10.97. However, these cities/towns were allowed to retain their existing higher classification, vide Para 3 thereof, and further extended vide O.M. No. 2(21)/E.II(B)/2004 dated 16.03.2005 & O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 07.01.2009. As other cities/towns to which protection of retaining earlier higher classification was allowed, got upgraded during the intervening period and as on date only two cities i.e. Ajmer in Rajasthan and Durgapur in West Bengal were retaining such protection. Consequent upon upgradation of these two cities also on the basis of their population as per Census-2011, provisions contained in Para 3 of this Department's O.M. No. 2(30)/97-E.II(B) dated 03.10.97 which were allowed to further continue vide O.M. dated 16.03.2005 & 07.01.2009, stand withdrawn/discontinued.

4. Special orders allowing continuance of HRA at Delhi ("X" class city) rates to Central Government employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ("Y" class city) rates to Jalandhar Cantt., at "Y" class city rates to Shillong, Goa & Port Blair vide this Department's O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008, and continuance of HRA at par with Chandigarh ("Y" class city) to Panchkula vide this Department's O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 04.03.2011, shall continue to be applicable till the recommendations of 7th CPC are considered by the Government.

5. These orders shall take effect from 1st April, 2015.

6. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

8. Hindi version is attached.

(Subhash Chand)
Director

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

9/13

(35)

ANNEXURE

to O.M. No 2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015.

LIST OF CITIES/TOWNS CLASSIFIED FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	---	---
2.	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	---	---
4.	ASSAM	---	Guwahati (UA)
5.	BIHAR	---	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---	Chandigarh (UA)
7.	CHHATTISGARH	---	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	---	---
9.	DAMAN & DIU	---	---
10.	DELHI	Delhi (UA)	
11.	GOA	---	---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---	Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon*(UA)
14.	HIMACHAL PRADESH	---	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---	Srinagar (UA), Jammu (UA)
16.	JHARKHAND	---	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
17.	KARNATAKA	Bengalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
18.	KERALA	---	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---	---
20.	MADHYA PRADESH	---	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corpn.)